राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 23/2024 निगरानी

भोलू कंजर पुत्र श्री कल्याण कंजर वयस्क निवासी सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा

बनाम

1. प्रभु लाल पुत्र श्री केला धाकड वयस्क निवासी सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)
2. ग्राम पंचायत सुरास पं.स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये संरपच ग्राम पंचायत सुरास पं.सं. माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
3. ग्राम पंचायत सुरास पं.स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुरास पं.सं. माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा

–निगराकार

–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा– 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत सुरास पं.सं. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा बमामले पट्टा संख्या 05 पत्रावली दिनांक 24.01.1996

उपस्थित – 1. श्री पृथ्वीराज चौधरी, अधिवक्ता निगराकार
2. श्री राकेश चौहान, अधिवक्ता गैर निगराकार–1
3. श्री के0सी काष्ट, अधिवक्ता गैर निगराकार 2 एवं 3

निर्णय

दिनांकः–15/04/2026

निगराकार जरिए निगराकार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पट्टा निगरानी प्रकरण अंतर्गत राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 अनुसार विपक्षी सख्या 02 एवं 03 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर नपती 60बाई65 फीट का जिसके पडौस पूर्व मे पड़त पश्चिम मे आम रास्ता, उत्तर में प्रताप बैरवा, दक्षिण आम रास्ता का जारी किया गया है जो मिलीभगती व फर्जी तरीके से किया जाकर निरस्त होने योग्य है। पट्टे में वर्णित पडौस का कोई मौके पर भूखण्ड नहीं है, निगराकार की पुश्तेनी भूखण्ड होकर निगराकार काबिज है। फर्जी पटटे की आड में निगराकार को परेशान किया जा रहा है। वर्णित पडौस मौके पर मेल नहीं खाते है व न ही ग्राम पंचायत में इसका कोई रिकॉर्ड है। हाल ही में सिविल कोर्ट,माण्डलगढ में झूठा दावा पेश किया गया। जिसके सम्मन प्राप्त होने पर पट्टे की फोटो प्रति जो अस्पष्ट है जो दी गई, उसकी प्रमाणित प्रति आरटीआई के तहत आवेदन करने पर विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा पंचायत के रिकॉर्ड में पट्टे की मिसल व प्रमाणित प्रति नहीं होना पाया गया। जिससे स्पष्ट है पट्टा कूटरचित व फर्जी है। गैर निगराकार द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व कानूनन आपत्तिया आमंत्रित नहीं की गई व साईट प्लान नहीं बनाया गया, विधिवत निरीक्षण नहीं किया गया, राज0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई जब तक नियम 156 में वर्णित शर्तों की पालना नहीं हो तब तक भूमि

15-4-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विक्रय नहीं की जा सकती है और न ही पट्टा जारी किया जा सकता है। धारा 146 के तहत सचिव स्थल निरीक्षण के लिए तीन पंचो की समिति गठित करेगा व तीनो पंच 15 दिन के अन्दर मोका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करेगा, लेकिन कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। धारा 148 के तहत आपत्ति नोटिस जारी करेगा व नोटिस दो प्रतियो में तैयार किया जायेगा, जिसमे एक प्रति पट्टेशुदा भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी व दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियो के उसे लगाए जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय में लौटा दी जायेगी। लेकिन जिन व्यक्तियो के हस्ताक्षर है, उनके पिता का नाम व वल्दीयात अंकित नहीं है व मिसल नम्बर अंकित नही है व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। धारा 157, 154, 158 व सभी नियमो की पालना नहीं की है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा निगराकार के दंखलदाजी पैदा की व उक्त जायदाद का पट्टा जारी करा देने की बात कही व झूठा दावा पेश किया गया, जिस पर पट्टे की नकल लेना चाहा, दिनांक 13/05/2024 को ग्राम पंचायत द्वारा पत्र जारी कर पट्टा नहीं होना बताया गया। जानकारी होते ही यह निगरानी अविलम्ब पेश है। लेकिन पट्टा जारी होने की दिनांक से उक्त निगरानी पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र साथ मे संलग्न है। उक्त जायदाद का जारी असल पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 के कब्जे में है तथा निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत मे पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु आवेदन किया गया, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे व मिसल की की प्रति नहीं दी गयी। इसलिए बिना पट्टा मिसल के निगरानी पेश की जा रही है, गैर निगराकारान के कब्जे से असल पट्टा पत्रावली तलब फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर, गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। गैर निगराकार–1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। गैर निगराकार 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित।

जवाब जरिए गैर निगराकार 1 अधिवक्ता अनुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत कौनसी पुश्तैनी जायदाद भूखण्ड स्थित है इसका कोई विशिष्ठ विवरण नहीं दिया गया है। उक्त पट्टा फर्जी बताया गया है जो गलत है क्योकि उक्त पट्टा पूर्ण वैधानिक कार्यवाही किये जाने के पश्चात् ग्राम पंचायत सुरास द्वारा दिनांक 02.08.1995 को गैर निगराकार सं. 1 प्रभु लाल धाकड़ के पक्ष में जारी किया गया है तथा तभी से गैर निगराकार सं. 1 उस पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। निगराकार की कोई भी पुश्तैनी जायदाद उस जगह पर न तो कभी थी न ही कभी रही है। केवल मात्र निगराकार द्वारा परेशान, किये जाने के लिए उक्त निगरानी प्रस्तुत की है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है। निगरानी अनुसार उक्त पट्टे की जानकारी वर्तमान में सिविल दावा होने पर हुई कहना गलत है क्योकि उक्त पट्टा सं. 5 दिनांक 02.08.1995 को गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में जारी किया गया था तथा उस पर दिनांक 24.01.1996 को राशि 1005 रूपये जमा कराने पर उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था जिसकी जानकारी पूर्व में ही निगराकार को थी तथा निगराकार, गैर निगराकार सं. 1 को येन केन प्रकारेन निरन्तर परेशान करता चजा आ रहा था जिससे परेशान होंकर गैर निगराकार ने सिविल न्यायालय माण्डलगढ़ में निगराकार के विरूद्ध दावा पेश किया जो लंबित है। जिसकी जानकारी होने पर निगराकार द्वारा उक्त निगरानी द्वेषतापूर्ण प्रस्तुत की गई है। पक्षकारों को मध्य सिविल वाद में ही हक अधिकार का निर्धारण हो सकेगा। उक्त सिविल वाद से नाराज होकर ही उक्त निगरानी श्रीमान के यहा प्रस्तुत की गई है जो कि गलत तथ्यों पर आधारित है। उक्त पट्टे सम्बन्धित पूर्ण जानकारी किये जाने तथा पट्टे के लिए आवेदन किये जाने के बाद ही ग्राम पंचायत सुरास द्वारा वैधानिक कार्यवाही के पश्चात् ही उक्त पट्टा गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में जारी किया गया है जिसमें गलती की कोई गुजाईस नहीं थी तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किये जाने के बाद भी अगर किसी को कोई आपति थी तो तब क्यो नहीं की। निगराकार द्वारा उक्त निगरानी पट्टा जारी होने के लगभग 30 वर्ष बाद उक्त निगरानी पेश की है जो की समयावधि के विपरित पेश की है अगर निगराकार की कोई भी जायदार या भूखण्ड निगराकार द्वारा निगरानी में बताये अनुसार उक्त स्थान पर था तो इतने समय तक निगराकार चुप क्यों बैठा था तथा उसके या उके परिवार के सदस्यो के द्वारा उक्त निगरानी उसी समय क्यों पेश नहीं की गई। जबकि उक्त बापी पट्टा जारी किये जान के समय ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्रावली तैयार करते समय नियमानुसार कोरम में रखा गया था तथा उक्त गैर निगराकार का पुश्तैनी हक कब्जा होने पर गैर निगराकार सं. 1 प्रभुलाल धाकड के पक्ष में उक्त पट्टा जारी किया गया है जो उचित तत्परता से जारी किया गया है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। निगराकार का उक्त पट्टे पर कोई भी हक अधिकार न तो पूर्व में रहा है न ही बाद में कभी रहा है। केवल गैर निगराकारन को परेशान करने के लिए उक्त निगरानी पेश की है जो की न तो कोई साक्ष्य पर आधारित है और न ही उचित तथ्यों पर आधारित है। यह कहना की उक्त पटटे के सम्बन्ध में जारी होने के समय कोई भी आपतिया प्रस्तुत नहीं की गई गलत है क्योकि ग्राम पंचायतों के पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में नियम बने हुये है तथा उसी नियमानुसार उक्त पत्रावली जारी की गई है तथा गैर निगराकार सं.1 द्वारा राशि जमा किये जाने के बाद ही उक्त पट्टा जारी किया गया है। निगराकार केवल मात्र ख्याली पुलाव पकाकर न्यायालय का

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

15.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

समय बर्बाद करना चाह रहा है क्योकि निगराकार उस पर जबरन कब्जा करना चाह रहा है तथा गैर निगराकार सं० 1 के उक्त पट्टे को अपना बताकर उस पर अनाधिकृत कब्जा करना चाह रहा है जिससे परेशान होकर ही गैर निगराकार ने उक्त पट्टे के हक अधिकार की कार्यवाही सिविल न्यायालय में की है। जब सिविल न्यायालय में उक्त कार्यवाही की गई है तो निगराकार द्वारा प्रस्तुत उक्त पट्टे की निगरानी श्रीमान् के पोषनीय नही है। पटटे पर पर ततकालीन सचिव व सरपंच के हस्ताक्षर व सील द्वारा जारी किया गया है तथा उसकी पत्रावली ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित है तथा निगरानी में वर्णनानुसार निगराकार द्वारा उक्त पट्टा स. 5 की पत्रावली की नकल ग्राम पंचायत से चाही गई होगी परन्तु निगराकार द्वारा उक्त दिनांक 02.08.1995 न लिखकर 24.01.1996 लिखी गई होगी जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा चाही गई दिनांक को कोई भी पट्टा जारी होना नहीं बताया। जबकि उक्त पट्टा सं. 5 गैर निगराकार सं. के पक्ष में दिनांक 02.08.1995 को जारी किया गया तथा उसके सम्बन्धित राशि 1005 रू. ग्राम पंचायत में 24.01.1996 को जमा कराई गई। जिस पर उसके असल पट्टे की प्रति ग्रमा पंचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 1 को दी गई जो कि वर्तमान में भी उसके पास है। इस प्रकार निगराकार द्वारा निगरानी में गलत तथ्य अंकित किये है।निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी नियमों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा खारिज किये जाने योग्य है क्योकि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी केवल मात्र फोटो प्रति पर पेश कर दी गई है जबकि नियमानुसार निगरानी प्रस्तुत करते समय पंचायत द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा केवल फोटो प्रति साक्ष्य में ग्राहय नहीं है जिस पर उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई। यदि नियमानुसार संभव है ग्राम पंचायत के पास उक्त पत्रावली नही है तो भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्रावली नहीं होने का लिखित में विवरण दिये जाने पर ही उक्त निगरानी प्रस्तुत की जा कसती है। जबकि ऐसा नहीं किया गया है तथा मात्र एक फोटो प्रतिपर उक्त निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है जो साक्ष्य के नियमों के विपरित है तथा उक्त निगरानी को दर्ज ही नही किया जाना चाहिये था। निवेदन है कि उक्त निगराकार की निगरानी सव्यय खारिज फरमायें जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

कथन जरिए गैर निगराकार 2 व 3 अधिवक्ता अनुसार ग्राम पंचायत सुरास के पत्रांक 08.01.2026 अनुसार बापी पट्टा जो प्रभुलाल पुत्र केला धाकड के नाम दिनांक 24.01.1996 को 65बाई60 फिट का जारी किया गया बताया है उस संबंध में पंचायत–सुरास में 1996 में जारी पट्टा का कोई रिकॉर्ड(मिसल द्वितीय प्रति) उपलब्ध नही है। इस पर भोलु कंजर ने कब्जा कर रखा है जिस पर भोलू कंजर द्वारा मकान–दुकान का कार्य अधूरा निर्माणाधीन है तथा वर्तमान में कार्य रूका हुआ है। उक्त प्लॉट विवादित है।

लिखित बहस जरिए गैर निगराकार 1 अधिवक्ता में उनके जवाब तथ्यों के दौहराते हुए अतिरिक्त कथन किया जिस अनुसार पटटा 5/24.01.1996 को सही जारी किया गया जिसकी मिसल 6/75–86 दिनांक 02.08.1995 के द्वारा कायम की जाकर एवं पट्टा राशि 1005/– दिनांक 24.01.1996 को जारी किया गया है, तभी से पटटेदार का कब्जा होकर कायम है। निगराकार का कभी भी पूर्व में कब्जा नहीं रहा है। अभी कुछ समय पूर्व ही निगराकार ने कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा करने की नियत से कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। गैर निगराकार पट्टेधारी ने सिविल कोर्ट में बेदखली का वाद प्रस्तुत कर दिया, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। जिससे रूठ कर निगराकार ने निगरानी प्रस्तुत की जो काबिले खारिज है। नियम 157 के अनुसार पटटा 300 वर्गगज से अधिक है तो अतिरिक्त क्षेत्रफल पर डीएलसी दर का 25 प्रतिशत शुल्क देय होकर पट्टा जारी किया जा सकता है, जिसके आधार पर ही 60बाई65 कुल 3900 वर्गफीट का उक्त पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। पंचायत मौका पर्चा व रिपोर्ट में गैर निगराकार को नोटिस दिए बिना ही उसको सूचना दिए बिना ही निगराकार से मिलीभगती कर रिपोर्ट बनाई गई जो अवैध है। निगरानी 28 साल बाद समयावधि व्यतित हो जाने व बिना किसी के कारण के पेश की जो मियाद बाहर है। निगराकार का यह कहना की पत्रावली निगराकार को नही दी तो पंचायत ने मौका पर्चा किस आधार पर बनाया गया है ? जबकि उक्त पत्रावली पंचायत द्वारा ही जारी की गई तथा पंचायत में उसका सम्पूर्ण रिकॉर्ड है तथा पंचायत द्वारा उचित आवेदन किए जाने पर पत्रावली उपलब्ध हो सकती थी पर ऐसा नही किया गया है। यदि निगराकार के पास पटटे की प्रमाणित प्रति नही थी तो प्रकरण कैसे दर्ज हो सकता जिसमें उक्त पटटे की फोटो प्रति हो। यदि निगराकार ने सिविल न्यायालय से उक्त प्रकरण की सत्यापित प्रति प्राप्त की है तो उक्त पत्रावली भी हो सकता है सिविल न्यायालय में हो जिससे सत्यप्रति जारी की गई हो। इस प्रकार उक्त निगराकार द्वारा न्यायालय को गुमराह कर पत्रावली नहीं होना बताया जो गलत है। धारा 157, 154, 158 मात्र धारा लिखा जाकर उल्लेख नहीं किया गया है। नियम की अवहेलना नहीं की गई है। निगराकार के अनुसार नियम 148 की कार्यवाही बताई है तथा उसका पालन नहीं किया जाना बताया है परन्तु गैर निगराकार ने उसका पालन किया है तथा उस समय उक्त नोटिस पंचायत द्वारा चस्पा किए गए थे तथा पट्टा आवेदनकर्ता को राशि जमा कराई की रसीद दी गई थी तथा पट्टा पत्र तत्कालीन सचिव व सरपंच दोनों के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। तथा पत्रावली 6/02.08.1995 कायम की गई थी तथा राशि जमा होने पर उक्त पटटा 5/24.01.1996 को जारी किया गया था जो सभी वैधानिकता का पालन करते हुए किया गया था। तथा उसके सभी पडौसान के मध्य उक्त पटटा वैध रूप से जारी किया गया है, जिसमें शंका की कोई गुजाईस नहीं है। निगराकार जाति से कंजर होकर उक्त पट्टे पर अवैध कब्जा

15.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

करना चाह रहा है तथा भूखण्ड के पास पडत भूमि होने से उसको शामिल कर उक्त पट्टे को अपना बताकर उस पर कब्जा करना चाह रहा है तथा आए दिना उक्त मौके पर लडाई झगडा करता है तथा अपना अवैध कब्जा बताकर गैर निगराकार को भूखण्ड पर जाने से रोकता है तथा गाली गलौच करता है जिसकी कई बार शिकायत पुलिस व प्रशासन में की गई है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे उसके हौसले बुलन्द होकर उक्त पट्टे पर अधिकार बताकर उस पर कब्जा जमाए हुए है तथा गैर निगरकार द्वारा उक्त सिविल न्यायालय में वाद करने से यहा निगरानी पेश कर उक्त पटटा खारिज कराना चाह रहा है। ऐसी निगरानी खारिज योग्य है जो द्वेषतापूर्ण पेश की गई है। गैर निगराकार–1 अधिवक्ता ने बताया कि मौके पर बाड़ा निर्मित होकर गैर निगराकार–1 का ही कब्जा है।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिस उपरान्त यह जाहिर आया कि पंचायत ने अपने पत्र दिनांक 08.01.2026 में यह बताया गया कि कब्जा अभी अधूरा निर्माण होकर भोलू कंजर का है और वर्तमान में निर्माण अभी रूका हुआ है किन्तु पंचायत ने यह भी कथन किया कि उक्त प्लॉट विवादित है। निगरानी प्रकरण लगभग 30 साल बाद प्रस्तुत की गई जिसका का कोई ठोस कारण निगराकार ने इस न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया। प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि निगराकार का उक्त भूखण्ड पर विधिवत कब्जा नहीं रहा है। निगरानी प्रार्थना पत्र में केवल मात्र धाराओं के नम्बर मय विवरण ही उल्लेख किया गया है जिसमें यह बताया गया कि नियमों की पालना नहीं हुई। किस प्रकार नियमों की पालना नहीं हुई इसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया। प्रकरण में यह जाहिर आया है कि वर्तमान में उक्त प्रकरण सिविल न्यायालय में जैरकार होकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई। अतः इस प्रकरण में श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायायलय को प्राप्त है। निगरानी याचिका मियाद बाहर होकर पोषणीय नहीं ठहरती है, अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्त प्रकरण मियाद बाहर होने के अतिरिक्त वर्तमान में सिविल न्यायालय में जैरकार है जिसका श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा